122

2रु. कोर्ट फी Rs.2 COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर
(रीवा सर्किट कोर्ट रीवा)

II/निग0/सिंगरौली/2018/0606

20रु. कोर्ट फी Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

1— मु0 सैरूनिशा बेबा रहीम वेग मुसलमान

2— सकील वेग पिता रहीम वेग मुसलमान

दोनो निवासी ग्राम करौदी, तहसील व जिला सिंगरौली म0प्र0

————————आवेदकगण

बनाम्

म0प्र0 शासन

————————अनावेदक

अधिवक्ता अंजली कुमार सोनी द्वारा पेश/23-01-18

कलर्क आफ कोर्ट राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश व निर्णय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा के प्र0क0 0294/अपील/2017—2018 में पारित आदेश दिनांक 23.10.2017 अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू—राजस्व संहिता 1959

मान्यवर

प्रकरण के तथ्य

यह कि भूमि खसरा कमांक 478/3 रकवा 7.45ए0 से बने नवीन नं0 561 रकवा 2.98हे0 स्थित ग्राम चिनगीटोला तह0 सिंगरौली की भूमि का रिहन्द डैम से प्रभावित होने/विस्थापित होने पर पुर्नवास योजना के अंतर्गत तहसीलदार सिंगरौली के प्रकरण कमांक 880/60 में पारित आदेश दिनांक 26.04.62 को आवेदक कमांक 01 के पति व आवेदक कमांक 02 के पिता स्व0 अब्दुल रहीम वेग को पट्टा प्रदान किया गया था। उक्त पुर्नवास पट्टे की इत्तलायवी दर्ज करने का आदेश सहायक बंदोबस्त अधिकारी दल कमांक 05 तहसीलदार सिंगरौली/कुसमी के प्रकरण कमांक 29/अ—6अ/1992—93 में पारित आदेश दिनांक 18.02.1994 को

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक दो–निगरानी/सिंगरोली/भू.रा./2018/606

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20/4/18	आवेदक के अभिभाषक को निगरानी की प्रचलनशीलता पर सुना गया। यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 366/17–18 अपील अपील में पारित आदेश दिनांक 24–11–17 के विरूद्व म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक के अभिभाषक ने प्रारंभिक तर्को में बताया कि ग्राम चिनगीटोला की भूमि खसरा नंबर 478/3 एंव 561 रिहन्द डेम में चली जाने से पुर्नस्थापन स्वरूप तहसीलदार सिंगरोली ने आदेश दिनांक 26–4–62 से रहीम वेग को पटटा दिया था। इसी पटटे के अमल का आवेदन देने पर तहसीलदार कुसमी ने आदेश दिनांक 18–2–1994 से रिकार्ड नहीं सुधारा, जिसकी अपील अनुविभागीय अधिकारी सिंगरोली माड़ा को की गई, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी ने भी प्रकरण कमांक 41/15–16 अपील में आदेश दिनांक 23–10–17 से गलत आधारों पर अपील निरस्त कर दी और जब अपर आयुक्त, रीवा के समक्ष अपील की गई, अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 366/17–18 अपील में पारित आदेश दिनांक 24–11–17 से अपील निरस्त करने में भूल की है। जब पटटा उपलब्ध है एंव सहायक बंदोवस्त अधिकारी ने प्रकरण कमांक 29 अ 6 अ/92–93 में आदेश दिनांक 18–2–94 से आवेदकगण के पटटे को स्वीकार किया है तब तहसीलदार अथवा अन्य राजस्व अधिकारियों को भूमि आवेदकगण के नाम अभिलेख में दर्ज करना चाहिये। उन्होंने निगरानी ग्राह्य करने एंव अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख मंगाकर सुने जाने की मांग रखी।	

3/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के कम में अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के आदेश दिनांक 24–11–17 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि अपर आयुक्त ने छान–वीन उपरांत यह पाया है कि भूमि पूर्व से ही मध्य प्रदेश शासन के नाम दर्ज चली आ रही है और मध्य प्रदेश शासन के नाम दर्ज चली आ रही भूमि में हस्तक्षेप करना उचित नहीं माना है। अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 24–11–17 में निष्कर्ष दिया गया है कि विचारण न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी अपीलीय न्यायालय के आदेश में निकाले गये निष्कर्ष विधिसंगत पाये गये है जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने आदेश दिनांक 24–11–17 पारित करते समय उनमें हस्तक्षेप नहीं किया है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश समरूप होना प्रतीत होने से विचाराधीन निगरानी सारहीन है जो इसी–स्तर पर समाप्त की जाती है।

सदस्य